

सेनानायक
22 टॉस्कफोर्स 47वीं
पीएसजी गाजियाबाद।

योगी ने शासन को जनहित एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समभवद्ध तरीके से गुप्तता के साथ सुनिश्चित कराया जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कल्याण परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए। हर परियोजना के लिए एक अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो हर सप्ताह प्रगति की रिपोर्ट दें। वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन पर परियोजनाओं की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। गुप्तता का पूरा ध्यान रखा जाए। कोई परियोजना लेट नहीं होनी चाहिए। जाम की समस्या नहीं होने पाए, सड़क पर गाड़ियां खड़ी नहीं हों, पटरों व्यवसायियों को भी व्यवस्थित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सगढ़ी तहसील के देवरा क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी के जलस्तर की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार के माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए।

करंट क्राइम

सिर्फ सच...

03 नई दिल्ली।।मंगलवार 23 जुलाई-2024

दिल्ली व गाजियाबाद से एक साथ प्रकाशित



SS PATH LAB & DIAGNOSTIC CENTRE
(Your Health is Our Priority)

Ultrasound Digital X-Ray
ECG Blood Tests

क्लड टेस्ट पर 50% छूट

अल्ट्रासाउंड मात्र : ₹ 800/-
डिजिटल एक्स-रे मात्र : ₹ 250/-
ई.सी.जी. मात्र : ₹ 200/-

Lab Director : Dr. Sagar Kashyap (MBBS,MD)
Free Home Collection Facility Available

पता : सी-2, कचहरी रोड, आर.डी.सी. राजनगर, गाजियाबाद
0120-3501102, 9625609360

Dr. Sagar Kashyap
MBBS, MD
Lab Director

फूड की दुकान पर नाम लिखने को बताया लोकसभा सांसद अतुल गर्ग ने पूरी तरह वैध

कहा मामले को दिया गया सामप्रदायिक मोड जबकि यह पहले से है एक लीगल रूल

गाजियाबाद (करंट क्राइम)। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ मामला सियासी गलियारों में गुंजा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली सभी ढाबों, फल की दुकानों पर उनके संचालकों के नाम लिखने को सही नहीं माना और इसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया। इस पूरे मामले को लेकर दैनिक करंट क्राइम ने उत्तर प्रदेश के पूर्व खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री तथा वर्तमान में गाजियाबाद लोकसभा सांसद अतुल गर्ग से बात की। सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर माथे पर है। उसका सम्मान है लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात रखने का भी एक विधान है। अतुल गर्ग ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री रहा हूँ और मुझे मंत्री रहने के साथ बहुत से कानूनों का पता है और मैं यह जानता हूँ कि नाम लिखने

की जो बात हो रही है वह कानूनन सही है और यह अनिवार्य भी है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि नियम और कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री बेचना है तो उसे नियम अनुसार फूड लाईसेंस लेना होता है। इसके लिए बकायदा विभाग का गठन किया गया है और यदि किसी विक्रेता के पास फूड लाईसेंस नहीं है तो फिर उसका बिजली करना गैरकानूनी श्रेणी में आता है। फूड लाईसेंस पर ही मालिक का नाम होता है उसकी पूरी पहचान होती है उसका पूरा पता होता है। लोकसभा सांसद ने कहा कि मेरी राय में इस मामले को कानूनी ढंग से प्रदर्शित करने की बजाय इसे अलग अलग ताकतों द्वारा सामप्रदायिक रंग दिया गया और मेरा निजी तौर पर मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक से पक्ष रखना चाहिए था। खाद्य सामग्री की दुकान पर उसके मालिक का नाम होना सामप्रदायिक

नहीं बल्कि कानूनी है। इसका कावड़ यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। नियम और कानून ये है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ बेचेगा उसके लिए वह जिम्मेदार होता है। हलवाई की दुकान पर फूड लाईसेंस होता है। जूस बेचने वाले के पास भी फूड लाईसेंस होता है। तो फिर सरकार ने अगर पहचान की बात कह दी तो इसमें सामप्रदायिकता वाली कौन सी बात आ गई। यह तो कानून के अनुसार फूड लाईसेंस के अनुसार मालिक का नाम होना जरूरी है इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ इस कानून को गलत तरीके से प्रदर्शित करते हुए सामप्रदायिक रंग दिया गया है। जो भी व्यक्ति फूड कारोबार कर रहा है उसे फूड लाईसेंस लेना जरूरी है और यह लाईसेंस कारोबार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सिर माथे पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री होने के नाते मुझे भलीभांति पता है कि किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ बेचने वाले को फूड लाईसेंस लेना अनिवार्य है और लाईसेंस पर ही बेचने वाले कारोबार करने वाले का पूरा नाम और पहचान होती है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। - अतुल गर्ग



करने वाले स्थान पर लगाया जाना जरूरी है। यहां पर सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सिर माथे पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री होने के नाते मुझे भलीभांति पता है कि किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ बेचने वाले को फूड लाईसेंस लेना अनिवार्य है और लाईसेंस पर ही बेचने वाले कारोबार करने वाले का पूरा नाम और पहचान होती है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फूड लाईसेंस होल्डर का नाम पता लिखा होना जरूरी होता है।

पांच रुपए के बिस्कुट पर है ब्यौरा लेकिन पचास रुपए के फल पर मच गया ढिंढोरा

करंट क्राइम। लोकसभा सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि कानून सबके लिए एक है और कानून को संप्रदाय से जोड़ा जाना गलत है। उन्होंने कहा कि चाहे पारले जी का बिस्कुट हो या पतंजलि का बिस्कुट हो उस पांच रुपए के बिस्कुट पर भी बिस्कुट में प्रयोग की खाद्य सामग्री, उसकी मात्रा, निमाता का नाम, कंपनी का पता लिखा रहता है। पूरा ब्यौरा रहता है। अगर इस पर ब्यौरा है तो फिर पचास रुपए के फल पर, पचास रुपए के भोजन पर ब्यौरा मांगने पर इतना ढिंढोरा मच रहा है। यह देश का सामान्य कानून है। मुझे लगता है जो लोग इस पर हंगामा कर रहे हैं उन्हें शायद देश के प्रदेश के फूड कानून को पढ़ना चाहिए। नाम जगार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिस्कुट भी पलेट बनाता है तो रेरा के कामजों में उसकी पूरी पहचान होती है, पूरा ब्यौरा होता है। बिना लाईसेंस के खाने पीने का सामान बेचा ही नहीं जा सकता है।

नेपाल में हर दुकान पर लिखा मिलेगा प्रोपराइटर का नाम

करंट क्राइम। लोकसभा सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में यदि आप देखें तो वहां हर दुकान पर प्रोपराइटर का नाम लिखा रहता है। वहां कोई हंगामा नहीं मचता और लोग अपनी पहचान बताने को लेकर उग्र नहीं होते। उन्होंने कहा कि यह खाद्य सुरक्षा नीति से जुड़ा मामला था और इसे कावड़ यात्रा से जोड़कर एक वर्ग विशेष से जोड़ा गया। यह ठीक नहीं है। देश के नागरिकों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह दाम चुकाकर जो भी खाद्य सामग्री ले रहे हैं उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि जिससे समान ले रहे हैं उसके पास फूड लाईसेंस है या नहीं।

मुजफ्फरनगर के बाद मोदीनगर कांवड़ मार्ग पर दुकानों के बाहर लिखे गए मालिकों के नाम क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटेंगे अब नेम प्लेट वाले बोर्ड

मोदीनगर, करंट क्राइम : मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ कांवड़ मार्ग पर होटल और खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला धीरे-धीरे पश्चिम के अन्य जिलों में भी बढ़ना शुरू हो गया है। सोमवार को मोदीनगर में आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों ने अपने होटल, दुकानों और खोखों पर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है। सोमवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने होटल और दुकान वालों पर पुलिस ने अभियान चला कर 24 घंटे के अंदर नाम, रेट लिस्ट और नंबर लिखने की हिदायत दी थी। बता दें की सावन मास में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कांवड़ यात्रा का संचालन होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त अलग-अलग स्थानों से गंगाजल लेकर आते हैं और डाक कांवड़ व पैदल कांवड़ के रूप में अपने घर वापसी करते हैं। इसके साथ ही सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक कार्यक्रम होता है। कांवड़ मार्ग की इस लंबी यात्रा के दौरान शिव भक्त अलग-अलग स्थानों पर रुकते हैं, खाना खाते हैं और विश्राम करते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। हालांकि सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इस पर नाराजगी जाहिर की है।



फल वाले ने लिखा दीन मोहम्मद और सपना रेस्टोरेट पर जगदीश प्रसाद गोस्वामी

करंट क्राइम। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर मोदीनगर क्षेत्र में 100 से अधिक होटल, ढाबे और खाने-पीने की दुकानें हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग टेली पर फल और सामान बेचने का काम करते हैं। जल लेने के लिए शिव भक्तों का अभी जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और यह आने वाले दिनों में और तेज हो जाएगा। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर फल विक्रेता दीन मोहम्मद ने अपना नाम लिख लिखा है। तो वहीं सपना रेस्टोरेट पर जगदीश प्रसाद गोस्वामी लिखा गया है। इसी के साथ सलीम, सुनील कुमार सहित अन्य ठेले वालों ने भी नाम लिखकर पोस्ट लगा दिए हैं। वहीं कई और होटल संचालक ने भी अपना नाम लिखा है।

पुलिस ने कहा लिखना होगा खाना शाकाहारी या मांसाहारी

करंट क्राइम। इस मामले में स्थानीय थाना पुलिस ने संबंधित दुकानदारों को संपर्क कर निर्देश दिया है कि वह अपनी दुकानों पर यह भी अवश्य लिखें कि वहां खाना शाकाहारी मिलता है या मांसाहारी। बता दें कि वैसे स्थानीय नगर निगम और पुलिस में मांस बेचने वाली दुकानों पर एक महीने की रोक लगा दी है।



- बार एसोसीएशन सचिव पद घमासान- सचिव पद पर पूर्व सचिव चाहते हैं चुनाव, तो कार्यकारी अध्यक्ष चाहती हैं घोषित हो नाम

गाजियाबाद, करंट क्राइम। बार एसोसिएशन गाजियाबाद में वर्ष 2024-25 के लिए हुए



स्नेह त्यागी

सचिव पद के चुनाव को लेकर लगातार घमासान वाली स्थिति बनी हुई है। 19 जुलाई को हुए मतदान के बाद 6 राउंड की रिकार्डिंग के बाद भी सचिव पद के लिए नाम को लेकर समझौता नहीं बन पाया है। वहीं 19 जुलाई को मतदान होने के बावजूद अभी तक सचिव पद पर नाम घोषित नहीं हो पाया है। उधर बता दें कि सचिव पद में हरेंद्र कुमार एडवोकेट को 892, अमित नेहरा को 891 और वरुण त्यागी को 753 वोट मिले थे। बार एसोसिएशन गाजियाबाद की कार्यकारी अध्यक्ष मुदुला राय त्यागी का कहना है कि मतों के लिहाज से हरेंद्र कुमार गौतम



अमित नेहरा



हरेंद्र गौतम



वरुण त्यागी

सचिव ने कहा पुनः होना चाहिए मतदान

करंट क्राइम। बार एसोसिएशन गाजियाबाद के सचिव चुनाव संयोजक स्नेह त्यागी ने कहा है कि 25 तारीख को पुनः मतदान होगा चाहिए। साथ ही उन्होंने मुदुला राय त्यागी को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। जिसमें कहा है कि उन्होंने सचिव पद को लेकर हुए परिणाम, फर्जी मतदान और मतों से अधिक मतपत्र मिलने का मामला बताया था। उसके बावजूद भी उन्हें भ्रमित करते हुए हरेंद्र गौतम को सचिव घोषित करने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एडवोकेट एवट के अनुसार वैधानिक कार्य मुदुला राय त्यागी द्वारा किया गया है। जिसके चलते हरेंद्र कुमार गौतम को कारण बताओ नोटिस किया जाएगा। साथ ही अगर लापरवाही और मिली तो प्राथमिक सदस्यता भी निरस्त की जाएगी। फिलहाल सचिव पद को लेकर बार में रार वाला सीन बना हुआ है।

कमेटी में थे सात वरिष्ठ अधिवक्ता व पदाधिकारी

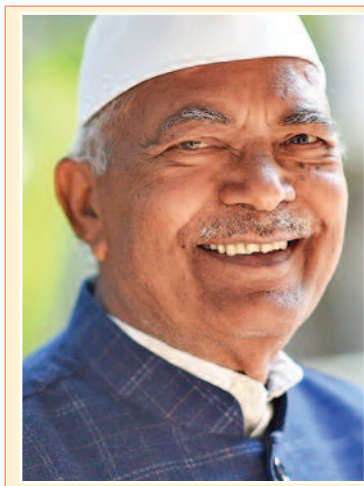
करंट क्राइम। बार एसोसिएशन गाजियाबाद के सचिव स्नेह त्यागी ने कहा है कि 2553 अवैध मत जारी किए गए थे। उन्हीं के आधार पर मतदान हुआ था। जिसकी उपयुक्त जानकारी सभी के पास थी। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि राम अवतार गुप्ता, फतेह चंद्र गोयल, सुभाष चंद्र स्वर्सेना, विजयपाल लाठी, बृजकिशोर गुप्ता, स्नेह कुमार त्यागी चुनाव संयोजक व सचिव मुदुला राय त्यागी कार्यकारी अध्यक्ष की सभी को सचिव पद के लिए हुए चुनाव और पूरे कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध थी।

को सचिव विजय घोषित किया जाना चाहिए लेकिन सचिव पद पर पुनः मतदान कराया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव समिति ने जो निर्णय लिया था उसे अब बदला जा रहा है। उधर इस मामले में बार एसोसिएशन गाजियाबाद के सचिव स्नेह कुमार त्यागी 25 जुलाई को दोबारा चुनाव कराने के पक्ष में नजर आ रहे हैं और उन्होंने इलाको लेकर लैटर भी जारी कर दिया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी भविष्य में पेड़ों के पत्ते कौन उठाएगा इसकी भी जिम्मेदारी तय हो जाए : बालेश्वर त्यागी

गाजियाबाद (करंट क्राइम)। मैं सोच रहा हूँ कि आज जो बड़े जोर शोर से वृक्षारोपण किया जा रहा है, जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और इनसे पत्ते गिरेंगे उन्हें कौन उठाएगा ? आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कैसी बात कर रहा हूँ ? मेरे विचारों पर बुखारी की गर्मी का असर नहीं है। बल्कि ये हकीकत में एक समस्या है जो मुझे चिंतित कर रही है।

लगभग एक वर्ष पहले महर्षि दयानन्द विद्यापीठ में एक व्यक्ति एक नगर निगम कर्मियों के साथ आया। इतेफाक से मैं भी वहां बैठा था। उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने नगर निगम से कूड़ा उठाने और कूड़ा चार्ज वसूलने का ठेका लिया है। उसने मुझे कूड़ा उठाने की जो शर्तें बताईं, वह भी चौंकाने वाली थीं लेकिन उन सब की चर्चा फिर कभी बाद में करूंगा, आज अपनी बात पेड़ के पत्तों तक सीमित रखता हूँ। उसने कहा कि आपने विद्यालय में जो पेड़ लगा रखे हैं, उनसे जो पत्ते गिरते हैं, हम उन्हें कूड़े में नहीं



उठाएंगे ? मैंने पूछा कि फिर उनको कौन उठाएगा ? उसने कहा कि इसकी व्यवस्था स्वयं विद्यालय को अपने से करनी है। हमारे एग्रीमेंट में उन्हें

एक सरकार, उसके अलग अलग विभाग और उनके अलग अलग निर्देश कोई सामंजस्य की भी तो व्यवस्था बननी चाहिए थी। एक पेड़ लगाने को कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आपने पेड़ लगाया है, इसलिए इसके पत्तों को भी उठाने का जिम्मा आप पर है।

उठाने की व्यवस्था से हमने अपने जिम्मे नहीं ली है। मतलब साफ है कि उन पत्तों से कम्पोस्ट खाद बनाने का काम विद्यालय को स्वयं अपने

संसाधनों से करना है। अब स्कूलों को पढ़ाई के साथ साथ कम्पोस्ट खाद का कारखाना भी लगाना है। क्योंकि जब जीडीए स्कूलों को प्लांट आर्बिट करता है तभी वह स्कूलों को निर्धारित संख्या में वृक्ष लगाने का निर्देश देता है। एक सरकार, उसके अलग अलग विभाग और उनके अलग अलग निर्देश कोई सामंजस्य की भी तो व्यवस्था बननी चाहिए थी। एक पेड़ लगाने को कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आपने पेड़ लगाया है, इसलिए इसके पत्तों को भी उठाने का जिम्मा आप पर है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस कमिश्नरेंट, नगर निगम, वन विभाग, उद्यान विभाग सभी वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राणपण से जुटे हैं। इस व्यस्तता में मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इन पेड़ों के पत्ते कौन उठाएगा ये भी निर्णय हो जाय तो कम से कम एक निर्धारितता तो हो जाय। कम से कम कूड़ा उठाने वाले ठेकेदार की धमकी से तो भी मुक्त हो जाय।



अभिनंदन



गाजियाबाद (करंट क्राइम)। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह अपनी पत्नी के साथ शहर के प्राचीन शिव मंदिर दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर पहुंचे इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और महंत नारायण गिरि से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। सावन का पहला सोमवार होने के चलते मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, सोमवार के चलते मंदिर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। इस मौके पर पूर्व पार्षद जाकिर सैफी व एसपीपी ऑफिस प्रिया श्रीपाल उपस्थित रही।

मोदीनगर कट्टे क्राइम। ओडीएफ प्लस फेज-2 के अंतर्गत ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाने हेतु उपनिर्देशक (पंचायत) मेरठ मंडल, गांवों के कुशल मार्ग निर्देशन में जयपुर मॉडल ग्राम हेतु चयनित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य व सफाई कर्मियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सुचेता सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह ने कहा कि अभी सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की है, इसके निस्तारण के लिए हमें घर और गांव से ही प्रयास करना होगा। जिसके लिए मिलने-वाले प्रशिक्षण की समझने के साथ-साथ करके भी दिखाना होगा। साथ ही प्रशिक्षणों द्वारा बताया गया कि सत्र के दूसरे दिवस में प्रशिक्षणार्थियों को फ्लोर विजिट हेतु ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आरसी केंद्र, कंपोस्ट प्लांट, लीच पिट, सिल्ट कैचमेंट एवं फिल्टर चैबर की जानकारी दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में सहायक विकास अधिकारी पंचायत भोजपुर मोहित अग्रवाल एवं दोनों विकास खंड से ब्लॉक कोऑर्डिनेट भी उपस्थित रहे।

